राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक एफ.2(1406)डीओआईटी/संस्था/13/I/24295/2014   जयपुर, दिनांकः 8-10-2014

कार्यालय आदेश

इस विभाग के समसख्यंक आदेश क्रमांक 23891/2014 दिनांक 24.09.2014 एवं 24016/2014 दिनांक 26.09.2014 के द्वारा माननीया मुख्यमंत्री महोदया, माननीय प्रभारी मंत्री एवं प्रभारी सचिव महोदय के अधीन कोटा संभाग के चारों जिलों एवं प्रत्येक जिले की पंचायत समिति में मुख्यालय एवं ब्लॉक/पंचायत स्तर पर आई.टी. से संबंधित कार्य सम्पादित किये जाने हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी कार्य समाप्ति तक लगाई गयी थी।

विशेष सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर के डी.ओ. नं. एफ. 16(1)एआरडी/ग्रुप-1/2014 दिनांक 29.09.2014 द्वारा प्रस्तावित "कोटा संभाग यात्रा" को स्थगित किया जाकर उपर्युक्त कोटा संभाग यात्रा की नई तिथि दिनांक 01.12.2014 से 09.12.2014 निर्धारित की गई है।

अतः विभाग द्वारा पूर्व में जारी समसख्यंक आदेश क्रमांक 23891/2014 दिनांक 24.09.2014 एवं 24016/2014 दिनांक 26.09.2014 के द्वारा कोटा संभाग यात्रा हेतु ड्यूटी पर लगाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी नये समय-सारिणी के अनुसार दिनांक 01.12.2014 से कार्य समाप्ति तक रहेगी।

उपर्युक्त ड्यूटी में लगाये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु आगामी तिथि से शीघ्र अवगत करवा दिया जायेगा।

आज्ञा से,

(ए.एम.देशपाण्डे)
तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रभारी सचिव महोदय (ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग)।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
6. संबंधित संभागीय आयुक्त / जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. प्रभारी अधिकारी राजस्थान सम्पर्क योजना / सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)।
8. संबंधित एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप-निदेशक), जिला कलक्टर कार्यालय।
9. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि उपरोक्त कार्य की महत्ता के मध्यनजर दिनांक **01.12.2014 से 09.12.2014** तक के लिये आपके अधीनस्थ कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को कार्यमुक्त कर आवंटित कार्यस्थल पर उपस्थिति देने हेतु कार्यमुक्त कर इस विभाग को भी सूचित करेंगे।
10. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी।
11. रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन